



सत्यमेव जयते



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency

Excellence in Assessment

(उच्चतरशिक्षाविभाग, शिक्षामंत्रालय, भारतसरकारकेतहतएकस्वायत्तसंगठन)

(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

सार्वजनिक सूचना 01 जुलाई 2022

विषय: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) -2022 सत्र- 2 के, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विवरण में सुधार संबंधी . . .

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने, जेईई (मुख्य) - 2022, सत्र- 2 के, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने विवरणों को संपादित/संशोधित करने की अनुमति देने के संदर्भ में, अभ्यर्थियों से प्राप्त हुए कई अभ्यावेदनों को ध्यान में रखकर जेईई (मुख्य) - 2022, सत्र 2 के, ऑनलाइन आवेदन के विवरणों को संशोधित करने हेतु एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। सूचना-संदर्भित विवरण निम्नांकित है:

| परीक्षा/सत्र | विवरण में सुधार के लिए की अवधि | सुधार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों |
|-----------------------------|--|--------------------------------|
| JEE (Main) – 2022 सत्र 2 | 01 July से 03 July 2022 (रात्रि 11:50 बजे तक) | अनुलग्नक -1 के अनुसार |

उक्त परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी अभ्यर्थियों को सुझावित है कि वे वेबसाइट देखें और अपने आवेदन पत्र के विवरणों को सत्यापित करते हुए, यदि आवश्यक हो तो, संबंधित विवरणों में सुधार करें।

अभ्यर्थियों को, सुधार करने की यह अनुमति, 03 जुलाई 2022 (रात्रि 11:50 बजे तक) के लिए प्रदान की गई है। किसी भी परिस्थिति में, इसके बाद, NTA द्वारा विवरणों में सुधार के आवेदन, जो भी हो, पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त शुल्क (यथाप्रयोज्य) का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/ UPI और PAYTM के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी कठिनाई से बचाने के लिए, अभ्यर्थियों को यह सुविधा चूंकि एक ही बार प्रदान की जा रही है, इसलिए अभ्यर्थियों को अत्यधिक सावधानी से सुधार करने का सुझाव दिया जाता है।

जेईई (मुख्य) - 2022 से संबंधित अधिक स्पष्टीकरण के लिए, अभ्यर्थी 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या jeemain@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।

Subarasher

(डॉ० साधना पाराशर)
वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा)



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency

Excellence in Assessment

(उच्चतरशिक्षाविभाग, शिक्षामंत्रालय, भारतसरकारकेतहतएकस्वायत्तसंगठन)

(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

अनुलग्नक-1

| | | |
|--|---|---|
| 1. | सत्र 1 में पहले से पंजीकृत अभ्यर्थियों और सत्र 2 के लिए आवेदन किया है, उन अभ्यर्थियों के लिए, केवल इसमें सुधार की अनुमति होगी: <ul style="list-style-type: none"> पाठ्यक्रम (पत्र) प्रश्न पत्र का माध्यम परीक्षा शहर अतिरिक्त शुल्क भुगतान (यदि लागू हो) | |
| 2. केवल सत्र 2 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए, निम्नलिखित लागू होंगे: | | |
| i. | मोबाइल नंबर, ईमेल पता, स्थायी पता और पत्राचार पता | नहीं |
| ii. | आधार सत्यापित अभ्यर्थियों के लिए | <p>अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि और लिंग - नहीं</p> <p>पिता और माता का नाम: एक अभ्यर्थी या तो पिता का नाम या माता का नाम (केवल कोई एक) बदल सकता है।</p> <p>श्रेणी : अभ्यर्थी या तो श्रेणी बदल सकता है या श्रेणी प्रमाणपत्र फिर से अपलोड कर सकता है। दोनों एक साथ नहीं।</p> <p>उप-श्रेणी (PwD): अभ्यर्थी या तो उप-श्रेणी (PwD) को बदल सकते हैं या उसके बदले उप-श्रेणी प्रमाणपत्र को फिर से अपलोड कर सकता है लेकिन दोनों एक साथ नहीं।</p> <p>शहर और माध्यम</p> <p>उत्तीर्ण वर्ष सहित योग्यता: कक्षा 10 और कक्षा 12</p> <p>पाठ्यक्रम (पत्र)</p> |
| iii. | आधार असत्यापित अभ्यर्थियों के लिए | <p>अभ्यर्थी का नाम, पिता का और माता का नाम: एक अभ्यर्थी या तो अभ्यर्थी का नाम, या पिता का नाम या माता का नाम (केवल कोई एक) बदल सकता है।</p> <p>श्रेणी : अभ्यर्थी या तो श्रेणी बदल सकता है या उसके बदले श्रेणी प्रमाणपत्र पुनः अपलोड कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं।</p> <p>उप-श्रेणी (PwD): अभ्यर्थी या तो उप-श्रेणी (PwD) को बदल सकते हैं या उसके बदले उप-श्रेणी प्रमाणपत्र को फिर से अपलोड कर सकता है लेकिन दोनों एक साथ नहीं।</p> <p>जन्म तिथि और लिंग - हाँ</p> <p>शहर और माध्यम: सत्र-1 में किए गए प्रावधान के अनुसार</p> <p>उत्तीर्णता वर्ष सहित योग्यता: कक्षा 10 और कक्षा 12</p> <p>पाठ्यक्रम (पत्र)</p> |